न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फुलियाकंला जिला भीलवाड़ा (राज.)

प्रकरण संख्या – 13/2021 पीठासीन अधिकारी – अमित कुमार वर्मा (आर.ए.एस.)

अनवान

1 आनोपी पुत्री उगमा माली उम्र वयस्क निवासी धनोप तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा राज.
2 आशाराम पुत्र रतन माली नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता कान्ता देवी पत्नि रतन माली उम्र वयस्क निवासी धनोप तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा राज.
3 मु. कनका पुत्री उगमा माली उम्र वयस्क निवासी धनोप तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा राज.
4 कान्ता देवी पत्नि रतन माली उम्र वयस्क निवासी धनोप तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा राज.
5 धन्नी पत्नि उगमा माली उम्र वयस्क निवासी धनोप तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा राज.
6 नोरती पुत्री रतन माली उम्र वयस्क निवासी धनोप तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा राज.
7 पूजा पुत्री रतन माली नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता कान्ता देवी पत्नि रतन माली उम्र वयस्क निवासी धनोप तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा राज.
8 रामगणी पुत्री उगमा माली उम्र वयस्क निवासी धनोप तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा राज.
9 लीला पुत्री रतन माली उम्र वयस्क निवासी धनोप तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा राज.
10 सरोज पुत्री रतन माली उम्र वयस्क निवासी धनोप तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा राज.

————————(प्रार्थीगण)

बनाम

1 लादु पिता सांवरा गुर्जर उम्र वयस्क निवासी धनोप तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा राज.
2 प्रकाश पिता जाना बैरवा उम्र वयस्क निवासी धनोप तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा राज.
3 अनिरूद्ध पिता चन्द्रभान सिंह राजपूत उम्र वयस्क निवासी धनोप तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा राज.
4 जगन्नाथ पिता सज्जन कुम्हार उम्र वयस्क निवासी धनोप तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा राज.
5 तहसीलदार (भूमिधारी) फुलियाकलां जिला भीलवाडा

—————(अप्रार्थीगण)

उपस्थित–

प्रार्थी अधिवक्ता– श्री विजय पाराशर

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128, रा.भू.राजस्व अधिनियम 1956 बाबत कराने पत्थरगढ़ी आराजीयात

दिनांक – 24.03.2021

निर्णय

प्रार्थीगण की ओर से एक प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 111, 128 रा.भू.राजस्व अधिनियम 1956 इस न्यायालय मे दिनांक 18.01.2021 का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाके **ग्राम धनोप पटवार मण्डल धनोप भू.अ.नि. धनोप तहसील फुलियाकंला** मे उसके खाते की कृषि भूमि खतौनी संख्या 22 के **आ.न. 3002/3503, 3002/4200 किता 2 रकबा 0.50 हैक्टयर भूमि** स्थित हैं। उक्त वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ौसी हैं। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के मध्य आराजीयात के सीमा चिह्न नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता हैं। जिससे कि प्रार्थीगण अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराना चाहता हैं। प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थनापत्र इस न्यायालय मे दिनांक 25.01.2021 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगणों को वजह जाहिर करने हेतु नोटिस जारी किये गये। विपक्षीगणों को जारी नोटिस बाद तामील रिकार्ड पर उपलब्ध है। किन्तु सूचित होने के उपरान्त भी विपक्षीगण नियत सुनवाई दिनांक 04.03.2021 पर वास्ते अपना पक्ष रखने, हाजिर नही होने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अधिवक्ता प्रार्थीया को सुना गया। प्रस्तुत बहस प्रार्थनापत्र पर गौर किया गया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेखों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य प्रमाणित हैं कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते की कृषि भूमि हैं और इस ... खातेदार अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराने का हकदार हैं। अतः प्रार्थनापत्र प्रार्थीगण न्याय... कार योग्य प्रतीत होता है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Amit Kumar Verma
Date: 2021.03.31 16:32:11 IST
Reason: SelfAttested

आदेश

प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र विरूद्ध विपक्षीगण स्वीकार किया ... वाके **ग्राम धनोप पटवार** ... **धनोप भू. अ.नि. धनोप तहसील फुलियाकंला** मे उसके खाते की कृषि भूमि खतौनी संख्या 22 के **आ.न. 3002/3503, 3002/4200 किता 2 रकबा 0.50 हैक्टयर** भूमि की पत्थरगढ़ी बसामलात पक्षकारान की जाने का आदेश पारित किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
फुलियाकलां (भीलवाड़ा) राज.

Scanned with CamScanner

उक्त आदेश की पालना के लिए भू–अभिलेख निरीक्षक धनोप को नियमानुसार फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण द्वारा अदा की जायेगी। भू–अभिलेख निरीक्षक पत्थरगढ़ी से न्यूनतम तीन दिन पूर्व सभी पड़ौसियान को उपरोक्त आराजियात की पत्थरगढ़ी हेतु लिखित सूचना पत्र से समय एवं तिथि बाबत् सूचित करेंगे। मौके पर विवाद होने, किसी अन्य न्यायालय से आराजीयात पर स्थगन होने की दशा में तथा मौके पर खड़ी फसल होने की स्थिति में पत्थरगढ़ी नहीं की जावें। पक्षकारान उभयपक्ष की मौजूदगी में ही पत्थरगढी की जावें। मुस्तकीन बिन्दू को आधार मानकर पत्थरगढ़ी किए जाने का आदेश प्रदान किया जाता है। आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार फुलियाकंला को भिजवाई जावे। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

यह आदेश आज दिनांक 24.03.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अमित कुमार वर्मा)
उपखण्ड अधिकारी,
फुलियाकलां, जिला भीलवाडा

उपखण्ड अधिकारी फूलियाकलां (भीलवाड़ा) राज

Signature Not Verified

Digitally signed by Amit Kumar Verma
Date: 2021.03.31 16:32:11 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner